

### **Disclaimer**

*“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”*

### **अस्वीकरण**

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

यह दस्तावेज़ आपकी पॉलिसी के बारे में केवल मुख्य जानकारी प्रदान करता है। विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज़ देखें।

एसआई संख्या	शीर्षक	विवरण	नीति अनुभाग संख्या
		(कृपया अगले कॉलम में लागू पॉलिसी क्लॉज संख्या देखें)	
1.	बीमा उत्पाद का नाम	क्षेम प्रकृति	में
2.	IRDAI द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या		
3.	बीमा उत्पाद की संरचना/प्रकार	क्षतिपूर्ति: क्षतिपूर्ति राशि, फसल की अवधि के अनुरूप फसल के मूल्य पर उपग्रह चित्र/ऐप के माध्यम से प्राप्त चित्रों के माध्यम से निर्धारित हानि के प्रतिशत को लागू करने के बाद निर्धारित की जाएगी।	आठवीं
4.	बीमा - राशि	पॉलिसी अनुसूची में दर्शाई गई राशि वह अधिकतम राशि है जो हम बीमा अवधि के दौरान किसी एक दावे या सभी दावों के लिए भुगतान करेंगे। पशु हमले के कवरेज के लिए, भुगतान कुल बीमित राशि के 25% तक सीमित है और इसे समग्र पॉलिसी बीमित राशि में शामिल किया जाता है।	द्वितीय
5.	बीमाकृत हित/कवरेज के लिए खंड	यह उत्पाद मालिक किसानों/किराएदार किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करता है, जो अधिकतम 180 दिनों की अवधि के साथ मौसमी फसलों की खेती करते हैं।	

6.	पॉलिसी कवरेज (पॉलिसी क्या कवर करती है?)	निम्नलिखित संकटों के घटित होने पर, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान होता है, आप इस पॉलिसी के तहत दावे के हकदार होंगे; नामित चक्रवात सुनामी सहित भूकंप। बिजली गिरने से आग बाढ़ बाढ़ (यह कवरेज हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं होगा) भूस्खलन तूफान केवल जानवरों द्वारा हमला हाथी जंगली सूअर	तृतीय
7.	उक्त उत्पाद के लिए उपलब्ध ऐड-ऑन कवर	पशु हमले कवरेज के अंतर्गत, नीलगाय पशु केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध है। ऐड-ऑन कवर इस प्रकार है: UIN नंबर:	शब्द जोड़ें
8.	कटौती योग्य / अतिरिक्त / सह-भुगतान और मूल्यहास, अल्प बीमा	इस पॉलिसी के अंतर्गत किए गए प्रत्येक दावे के लिए 500 रुपये या दावे की निर्धारित राशि का 5% जो भी अधिक हो।	हम
9.	अपवर्जन (जो पॉलिसी कवर नहीं करती)	कंपनी निम्नलिखित के कारण होने वाले नुकसान और क्षति को कवर नहीं करेगी। युद्ध जोखिम: युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, जब्ती, राष्ट्रीयकरण, नागरिक दंगा, लूट, उससे संबंधित लूटपाट के कारण होने वाला नुकसान। परमाणु जोखिम: किसी भी परमाणु ईंधन से रेडियोधर्मिता द्वारा आयनकारी विकिरण या संदूषण या परमाणु ईंधन के दहन से उत्पन्न किसी भी परमाणु अपशिष्ट या किसी भी परमाणु संयोजन या परमाणु घटक के रेडियोधर्मि, विषाक्त, विस्फोटक या खतरनाक गुणों से उत्पन्न बीमित फसल को होने वाला कोई भी नुकसान। परिणामी नुकसान: किसी भी प्रकार या विवरण का परिणामी नुकसान। दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम। आतंकवाद: आतंकवादी गतिविधियों के कारण फसल को होने वाला कोई भी नुकसान। किसी भी प्रकार का प्रदूषण या संदूषण। किसी भी सरकार या किसी अन्य नागरिक प्राधिकरण के आदेश से	IV

		<p>होने वाला राजनीतिक जोखिम या हानि या क्षति; ज्वालामुखी विस्फोट, तटीय या नदी का कटाव या प्रकृति के अन्य आघात। चोरी, दंगा और हड़ताल। फसल की कटाई के बाद की हानि, भले ही वह बीमित खेत में कटी हुई और फैली हुई हो। धारा 3 के अंतर्गत उल्लिखित क्षति/हानि के अलावा किसी अन्य जानवर द्वारा पहुँचाई गई क्षति/हानि, अर्थात् कवरेज। जलप्लावन के विरुद्ध जलसेही फसलों का कवरेज। किसी अन्य संकट से, जो पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है। स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि जैसी सहायक संरचनाओं की लागत। अंतरफसल और मिश्रित फसल की खेती। बीमित खेत और क्षतिग्रस्त खेत के बहुभुज/अक्षांश और देशांतर के बीच बेमेल। दावा अतिरिक्त। किसी भी हानि के संबंध में या उसके संबंध में आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यय, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो, भले ही ऐसी हानि के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन/उपज में कमी आई हो या परिचालन लागत में वृद्धि हुई हो, देय नहीं होगा। खेत से किसी भी क्षतिग्रस्त फसल, मलबे या किसी भी पदार्थ/पदार्थों को हटाने के लिए आपके द्वारा किए गए किसी भी खर्च, चाहे ऐसी क्षति कवर किए गए खतरों के कारण हुई हो या अन्यथा, देय नहीं होगी। फसलों की हानि या क्षति जहां हानि या क्षति का स्थान प्रस्ताव के समय पहचाने गए बहुभुज के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है उपज की हानि। नर्सरी में उगाई जा रही फसलें। प्रतीक्षा अवधि के दौरान हुई हानि। कोई भी धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे।</p>	
10.	विशेष शर्तें और वारंटी (यदि कोई हो)	<p>कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन यह पॉलिसी की गई है और पॉलिसी में समर्थन किया गया है, उसे इस पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा। नुकसान होने पर, नुकसान वाले क्षेत्र की सीमा तक आनुपातिक बीमित राशि बीमित क्षेत्र के लिए कुल बीमित राशि से कम हो जाती है। प्रतीक्षा अवधि: इस पॉलिसी में आपके द्वारा प्रस्ताव में घोषित फसल अवधि के 15% दिनों या आरंभ की तारीख से पहले 21 दिनों या बदली हुई बुवाई की तारीख / फसल में से जो भी कम हो, की प्रतीक्षा अवधि है। यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त</p>	VI

		क्षेत्र की बीमित राशि शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त मानी जाएगी।	
11.	दावे की स्वीकार्यता	<p>दावा करने की प्रक्रिया:</p> <p>क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से या customer.support@kshema.co पर ईमेल द्वारा या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या हमारी वेबसाइट <a href="https://kshema.co/">https://kshema.co/</a> के माध्यम से नुकसान की सूचना तुरंत दें, साथ ही अपने पॉलिसी विवरण के साथ जोखिम घटित होने के 24 घंटे के भीतर सूचित करें।</p> <p>नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सभी कदम उठाएं, मानो कोई बीमा नहीं लिया गया हो।</p> <p>क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें, दिनांक और समय के साथ लें।</p> <p>क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरे बीमित क्षेत्र और खेत के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें।</p> <p>नुकसान के समय, दिनांक और स्थान के अनुसार अनुमानित प्रभावित क्षेत्र के साथ क्षति/नुकसान का पूरा विवरण दें।</p> <p>नुकसान के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी अन्य बीमा पॉलिसी का विवरण दें।</p> <p>क्षेमा द्वारा नुकसान सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की सुरक्षा करें और साथ ही फसल के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाएं।</p> <p>फसल के कारण, नुकसान और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज/सूचनाएं प्रदान करें और कंपनी द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।</p> <p>किसी भी बीमा दावे के मामले में, दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप नुकसान की तारीख से शुरू होकर सात दिनों की अवधि के लिए हर दूसरे दिन प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>नुकसान की तारीख पर बीमा योग्य हित के प्रमाण को स्थापित करने वाला दस्तावेज।</p> <p>हानि आकलन और गणना:</p> <p>दावे का पता लगाना और हानि का आकलन केवल रिमोट सेंसिंग उपग्रह छवि / चित्रों और / या वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा, जो कि इन-हाउस विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा; और कवरेज के तहत उल्लिखित खतरों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब संबंधित सरकार / मौसम विज्ञान / भूवैज्ञानिक / आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा घोषित या पुष्टि की जाए, या बीमाकर्ता की संतुष्टि के लिए प्रमाणित किया जाए; या कोई अन्य विश्वसनीय स्थानीय रिकॉर्ड या साक्ष्य।</p> <p>नुकसान के मुआवजे की गणना नीचे दिए गए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।</p>	V, VIII, IX

		<p>नुकसान = (बीमित राशि x फसल की अवस्था के आधार पर संबंधित मुआवजा प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत) - दावा अतिरिक्त</p> <p>फसल की अवस्था के आधार पर मुआवजा प्रतिशत: मुआवजा प्रतिशत, नुकसान की घटना के समय फसल की अवस्था और फसल की कुल अवधि का प्रतिशत होगा। नोट: यदि नुकसान के समय फसल की अवस्था प्रतीक्षा अवधि के भीतर आती है, तो कोई बीमा दावा देय नहीं होगा।</p>	
12.	पॉलिसी सेवा - दावा सूचना और प्रसंस्करण	<p>बीमाकर्ता का टोल फ्री / आईवीआरएस नंबर: टोल फ्री नंबर 1800 572 3013 वेबसाइट / ईमेल: <a href="http://www.kshema.co">www.kshema.co</a> या <a href="mailto:customer.support@kshema.co">customer.support@kshema.co</a> पर जाएं इस पॉलिसी के तहत कवर किए गए किसी भी संकट/ संकटों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति हुई है, आपको निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है: क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से या <a href="mailto:customer.support@kshema.co">customer.support@kshema.co</a> पर ईमेल द्वारा या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या हमारी वेबसाइट <a href="https://kshema.co/">https://kshema.co/</a> के माध्यम से अपने पॉलिसी विवरण के साथ संकट की घटना के 24 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दें। नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएं, जैसे कि कोई बीमा नहीं किया गया है लिया गया। क्षेमा एप्लिकेशन का उपयोग करके क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें, दिनांक और समय के साथ लें। क्षेमा एप्लिकेशन का उपयोग करके पूरे बीमित क्षेत्र और खेत के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें। नुकसान के समय, दिनांक और स्थान के अनुसार प्रभावित अनुमानित क्षेत्र के साथ क्षति/नुकसान का पूरा विवरण दें। नुकसान के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी अन्य बीमा पॉलिसी का विवरण दें। क्षेमा द्वारा क्षति सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की सुरक्षा करें और साथ ही फसल के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाएँ। फसल के कारण, हानि और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रदान करें और कंपनी द्वारा आवश्यक अन्य जानकारी प्रदान करें। किसी भी बीमा दावे के मामले में, दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप हानि की तिथि से सात दिनों की अवधि के लिए हर दूसरे दिन प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p>	V

		नुकसान की तिथि पर बीमा योग्य हित के प्रमाण को स्थापित करने वाला दस्तावेज़।	
13.	शिकायत निवारण और पॉलिसीधारकों का संरक्षण	<p>पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा बीमा उद्योग का एक मूलभूत पहलू है जिसका उद्देश्य बीमा पॉलिसियां रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। पारदर्शिता और प्रकटीकरण, निष्पक्ष उपचार, नियमों का अनुपालन, गोपनीयता और डेटा संरक्षण, शीघ्र दावा निपटान, शिकायत निवारण तंत्र आदि सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीधारकों के हितों को बनाए रखने के लिए विभिन्न नियामक ढांचे, दिशानिर्देश और उद्योग प्रथाएं मौजूद हैं।</p> <p>बीमाकर्ता के शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण: मुख्य शिकायत अधिकारी gro@kshema.co पर</p> <p>बीमा भरोसा पोर्टल: <a href="https://bimabharosa.irdai.gov.in/">https://bimabharosa.irdai.gov.in/</a></p> <p>लोकपाल: <a href="http://www.cioins.co.in/ombudsman.htm">http://www.cioins.co.in/ombudsman.htm</a></p> <p>टोल फ्री नंबर 1800 572 3013 या हमें customer.support@kshema.co पर ईमेल करें</p>	XIV
14.	संभावित पॉलिसीधारक / ग्राहक के दायित्व	<p>प्रस्ताव फॉर्म भरते समय सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना:</p> <p>प्रस्ताव फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आपका दायित्व है। आपके द्वारा धोखाधड़ी की स्थिति में, पॉलिसी रद्द हो जाएगी।</p> <p>आप हमें लिखित में या क्षेम एप्लिकेशन के माध्यम से सूचना देकर किसी भी समय इस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। आपकी सूचना प्राप्त होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।</p> <p>धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर हम पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द नहीं करेंगे। दोनों ही मामलों में, शेष अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>पहले से घोषित जानकारी में किसी भी परिवर्तन/संशोधन/जोड़ की स्थिति में उसे तुरंत बीमाकर्ता के ध्यान में लाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने से दावे का निपटान प्रभावित हो सकता है।</p> <p>यह पॉलिसी मोबाइल एप्लिकेशन संचालित है; आवेदन में ही विवरण प्रदान करना होगा। खेत की सीमाओं को जियो-टैग किया जाना चाहिए और केवाईसी और खेत के विवरण के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।</p> <p>पॉलिसी अवधि के दौरान अन्य भौतिक जानकारी का प्रकटीकरण: बीमित व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800 572 3013 पर फोन पर हमारी ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकता है या पॉलिसी को प्रभावित करने वाली भौतिक जानकारी में किसी भी बदलाव को सूचित करने के लिए customer.support@kshema.co पर हमें लिख सकता है।</p>	बारहवीं, छठी



	<p>अविवादितता और प्रकटीकरण का कर्तव्य: यह पॉलिसी शून्य हो जाएगी, और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा, किसी भी असत्य या गलत बयान, गलत बयानी, गलत वर्णन, या प्रस्ताव फॉर्म और / या व्यक्तिगत बयान और / या प्रस्ताव फॉर्म (डीपीएफ) और / या संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से की गई घोषणा में किसी भी भौतिक परिवर्तन या विशेषता का खुलासा न करने की स्थिति में।</p> <p>फसल बेमेल: और यदि बीमा के समय आपके द्वारा बीमा के लिए घोषित फसल और बीमित क्षेत्र की वास्तविक फसल में अंतर है तो कोई हानि/क्षति देय नहीं होगी। भुगतान किया गया प्रीमियम पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा और पॉलिसी शून्य और अमान्य हो जाएगी।</p> <p>फसल प्रथाओं का पैकेज: बीमित व्यक्ति फसल से संबंधित प्रथाओं के सभी पैकेज का पालन करेगा और समय पर सभी गतिविधियाँ जैसे सिंचाई, निराई, पौध संरक्षण आदि करेगा, प्रथाओं के निर्धारित पैकेज को करने में किसी भी तरह की विफलता के लिए संबंधित इनपुट लागत दावे की राशि से काट ली जाएगी।</p> <p>अतिरिक्त राशि: आपको इस पॉलिसी के तहत किए गए प्रत्येक दावे के लिए 500/- रुपये या दावे की निर्धारित राशि का 5% जो भी अधिक हो, वह वहन करना होगा।</p> <p>नामित जोखिम पॉलिसी: इस पॉलिसी में दी गई अपवर्जन सूची केवल उदाहरण के लिए है और इसमें ऐसे किसी भी जोखिम को शामिल नहीं किया गया है जिसे स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है।</p> <p>योगदान खंड: यदि एक ही कृषि भूमि पर एक ही फसल एक से अधिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित है और यदि नुकसान उक्त कृषि भूमि पर होता है और नुकसान एकाधिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया गया है, तो हम अन्य बीमा पॉलिसियों द्वारा प्रदान की गई कवरेज के आधार पर दावा राशि का केवल एक अनुपातिक अनुपात ही देने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>बुवाई की तिथि: यदि बुवाई की तिथि कोटेशन तिथि से 15 दिन से अधिक पहले की पाई जाती है, तो पॉलिसी को निरस्त और अमान्य माना जाएगा और कोई दावा देय नहीं होगा।</p> <p>फसल में परिवर्तन: बीमा प्रस्ताव के समय घोषित फसल में से एक बार फसल में परिवर्तन की अनुमति होगी, बशर्ते कि परिवर्तन की सूचना बुवाई के 5 दिनों के भीतर दी जाए।</p> <p>बुवाई की तारीख में परिवर्तन: बुवाई की तारीख में एक बार परिवर्तन की अनुमति है, जो प्रीमियम भुगतान की तारीख से पहले नहीं हो सकता, बशर्ते कि बुवाई के 5 दिनों के भीतर लिखित में सूचित किया जाए।</p> <p>7 दिन का खंड: घटना के प्रारंभ से लगातार 7 दिनों की अवधि के दौरान एक ही प्रभावित बहुभुज में नामित खतरों से उत्पन्न बीमित फसल को होने वाली किसी भी हानि या क्षति को एकल घटना माना</p>
--	--



	<p>जाएगा और इसलिए एक दावा अधिशेष और एक दावे के अधीन होगा।</p> <p>अनिवार्य दस्तावेज: बीमा दावे के समय, अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के साथ अनिवार्य फसल हानि/क्षतिग्रस्त फोटो, घटना के घटित होने की तारीख से हानि/क्षति के पूर्ण रूप से समाप्त होने तक 2 दिनों के सख्त अंतराल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>उचित सावधानी: आपको दावे को जन्म देने वाली हानि या क्षति से बीमित फसल के हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने होंगे।</p> <p>नियमों और शर्तों का पालन: इस पॉलिसी के नियमों, शर्तों और समर्थन का उचित पालन और पूर्ति, जहाँ तक वे आपके द्वारा किए जाने वाले या अनुपालन किए जाने वाले किसी भी कार्य से संबंधित हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी हानि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए हमारी ओर से किसी भी देयता के लिए एक पूर्व शर्त होगी।</p> <p>इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों का पालन न करने पर यह पॉलिसी अमान्य हो जाएगी।</p> <p>कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन यह पॉलिसी लागू की गई है और पॉलिसी में समर्थन किया गया है, इस पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।</p> <p>प्रतीक्षा अवधि:</p> <p>यह पॉलिसी प्रस्ताव में आपके द्वारा घोषित फसल अवधि के 15% दिन या आरंभ की तारीख से या बदली हुई बुवाई की तारीख / फसल से पहले 21 दिन, जो भी कम हो, प्रतीक्षा अवधि है।</p> <p>यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान हानि या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र की बीमित राशि शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त मानी जाएगी।</p> <p>फसल प्रबंधन खंड: अनुचित फसल प्रबंधन प्रथाओं जैसे समय पर और पर्याप्त निराई, सिंचाई, कीट या बीमारियों या पोषण की कमी या अत्यधिक खनिज / पोषक तत्व नियंत्रण या अन्य आवश्यक कृषि संबंधी प्रथाओं का संचालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप फसल को हानि या क्षति या अनुचित विकास होता है, तो दावा राशि कुल पात्र दावे के अधिकतम 25% तक कम हो सकती है, जो लापरवाही की गंभीरता और प्रभाव पर निर्भर करती है।</p> <p>(एनसीडी):</p> <p>कंपनी आपकी पिछली पॉलिसी पर कोई दावा न किए जाने पर प्रीमियम के 2.5% के स्लैब में छूट देगी।</p> <p>बीमित व्यक्ति नो क्लेम डिस्काउंट के लिए पात्र होगा, भले ही वह पहले से बीमित फार्म पॉलीगॉन के लिए एक सीज़न के लिए बीमा खरीदना छोड़ दे। हालांकि, यदि फार्म पॉलीगॉन का लगातार दो मौसमों के लिए बीमा नहीं किया जाता है तो अर्जित एनसीडी खो</p>	
--	---	--

		<p>जाएगी।  एनसीडी प्रत्येक पॉलिसी पर लागू होगी।  यदि किसान बीमित क्षेत्र को बढ़ाता है तो एनसीडी पिछले फसल मौसम में बीमित क्षेत्र की सीमा पर लागू होगी जिसमें किसान ने छूट अर्जित की थी।  छूट केवल तभी लागू होगी जब बीमित एक ही फार्म पॉलीगॉन का बीमा एक ही किसान द्वारा किया जा रहा हो।  अधिकतम छूट शुद्ध प्रीमियम के 15% से अधिक नहीं होगी।  यदि पॉलिसी पर दावा सूचित किया जाता है, तो अर्जित एनसीडी शून्य हो जाता है।</p> <p>लॉयल्टी बोनस:</p> <p>कंपनी प्रीमियम छूट का विस्तार करती है बार-बार आने वाले ग्राहकों को लॉयल्टी बोनस के रूप में, बशर्ते कि किसान ने पिछले सीज़न में उतनी ही या उससे अधिक ज़मीन का बीमा कराया हो।  वर्तमान बीमा में शुद्ध प्रीमियम का 5% की एकमुश्त छूट दी जाएगी।  किसान अगले फ़सल सीज़न में अपने खेत का बीमा न कराने पर भी छूट के लिए पात्र होगा, लेकिन लगातार दो फ़सल सीज़न से ज़्यादा के लिए नहीं।  यदि किसान बीमित खेत की सीमा कम करता है, तो छूट आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।</p>	
--	--	--	--

पॉलिसीधारक द्वारा घोषणा

मैंने उपरोक्त पढ़ लिया है और विवरण नोट कर लिया है।

स्थान: (पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर)

तारीख:

टिप्पणी:

- आप हमारी वेबसाइट <https://kshema.co/> पर सीआईएस सहित पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज़ देख सकते हैं।
- किसी भी विवाद की स्थिति में, पॉलिसी दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम व शर्तें लागू होंगी।